क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नामः जननी सुरक्षा योजना

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): शहरी क्षेत्र की स्वास्थ्य कार्यकर्ता **को प्रोत्साहन राशि**

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): A.1.4.4.b

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :
कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इस कार्यक्रम में किया गया है । चुंकि शहरी क्षेत्रों में आशा नहीं है तो वहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता(कोई भी कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता) को यह राशि दी जाएगी ।

इकाई राशि (रू० में) :200/–

वित्तीय दिशा निर्देश :
संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश–

कार्य	**लाभार्थी** (स्वास्थ्य कार्यकर्ता)
गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन	50 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 1	50 रू०/–
प्रसव पूर्व जाँच 2	
प्रसव पूर्व जाँच 3	
आई० एफ० ए० 1	50 रू०/–
आई० एफ० ए० 2	
आई० एफ० ए० 3	
टी० टी० 1	
टी० टी० 2	
बी०सी०जी० टीकाकरण	50 रू०/–
कुल	**200 रू०/–**

नोट–

1 स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत किए गए सभी कार्यो के लिए एक मुश्त राशि शिशु के बी.सी.जी. टीकाकरण के पश्चात् संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में दी जाएगी ।

2 **अगर सरकारी अस्पतालों में आई.एफ.ए उपलब्ध नहीं है तथा** स्वास्थ्य कार्यकर्ता **गर्भवती महिला को प्रेरित कर अन्य जगहों से क्रय कर आई.एफ.ए. का सेवन सुनिश्चित कराती है, वैसी स्थिति में आई.एफ.ए. हेतु भुगतान** स्वास्थ्य कार्यकर्ता **को भी देय होगा ।**

3 गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व जाँच, आइ.एफ.ए. तथा टी.टी का सत्यापन जच्चा–बच्चा रक्षा कार्ड/मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड पर सूचनाओं को अंकित करने की जवाबदेही आशा की होगी। यदि कोई ऐसी महिला जिसके पास कार्ड है परंतु टीकाकरण से संबंधित तिथि अंकित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में Maternal Child Tracking System व्यवस्था के आंकड़ों से इसका सत्यापन कर लिया जाए कि उस महिला को प्रसव पूर्व सेवाएँ दी गयी हैं या नहीं। यदि उस महिला का कोई भी तथ्य नहीं है तो इसका सत्यापन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से किया जाएगा । **प्रायः यह देखा जाता है कि प्रोत्साहन राशि का ससमय भुगतान नहीं होने के कारण संस्थागत प्रसवों में भी कमी होती है । इसलिए सभी स्वास्थ्य संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि** स्वास्थ्य कार्यकर्ता **का भुगतान ससमय सुनिश्चित कर लिया जाए ।**

S Kumar

(गर्भवती महिला द्वारा प्रसव पूर्व जाँच, टी.टी., आई.एफ.ए. यदि सरकारी अस्पतालों के अलावा अन्य जगहों से सलाह/क्रय कर उपयोग किया गया है, उसकी भी मान्यता दी जाएगी)

विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देश –

गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल जाने के क्रम में हो जाती है तो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता भुगतान देय होगा ।
गर्भवती महिला (प्रसव के बाद) अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का भुगतान देय है ।

भुगतान की प्रक्रिया : महिला(प्रसूता) लाभार्थी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को चेक के द्वारा भुगतान देय होगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972,

SKumar